रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, जून 4, 1983 (ज्येष्ठ 14, 1905)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 4, 1983 (JYAISTHA 14, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 3

[PART III—SECTION 3]

लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Minor Administrations]

दादर और नागर हवेली प्रशासन

(शिक्षा विभाग)

सरकारी हाई स्कूलों और हाईर सैकंडरी स्कूलों के लिए अनुशासनिक नियम

आदेश

सं० ए-1010 । 2-ई० डी० एन० :—दादर और नागर हवेली के प्रशासक दादर और नागर हवेली के सरकारी हाई/हायर सैकंडरी स्कूलों के लिए अनुशासनिक नियम निर्दिष्ट करते हैं :

छोटा शीर्षक और आरंभ

1- ये नियम सरकारी हाई/हायर स्कूलों के बारे में दादर और नागर हवेली अनुशासनिक नियम कहलाएंगे।

2. ये नियम तत्काल लागू होंगे ।

3- स्कूल में विद्यार्थी के बने रहने के लिए अनुशासन और अच्छे व्यवहार के नियमों का पालन करना अनिवार्य शर्त है ।

4- यदि कोई विद्यार्थी छुट्टी की मंजूरी बिना लगातार 30 दिन तक अनुपस्थित रहेगा या शिक्षा सत्र में उसकी उपस्थिति हायर सेकंडरी/सेकंडरी बोर्ड आफ एजुकेशन (गुजरात राज्य) के नियमों और विनियमों के अनुसार निर्धारित दिनों की नहीं होगी, तो स्कूल का हैडमास्टर प्रिंसिपल उस विद्यार्थी का नाम स्कूल के रजिस्टर से काट देगा ।

5. निम्नलिखित व्यवहारों की सख्त मनाही है :

(क) स्कूल परिसर में या उसके आस पास थूकना

(ख) स्कूल की सम्पत्ति को बिगाड़ना या अन्यथा क्षति पहुंचाना ।

(ग) स्कूल परिसर में अथवा उसके आस-पास धूम्र पान करना ।

(घ) किसी भी प्रकार का जुआ खेलना

(ङ) हुल्लड़बाजी और अशिष्ट व्यवहार करना ।

(च) अनियमित उपस्थिति ।

(छ) कथनी और करनी में असंगति ।

(ज) अध्यापक की अवज्ञा ।

(ट) किसी प्रकार धोखा देना अथवा गंभीर दुर्व्यवहार

(5) स्कूल परिसर के अंदर स्कूल यूनिफार्म का प्रयोग न करना ।

6- अनुशासनिक उपायों के कुछ मानक प्रकार, जो स्कूलों में छात्रों के साथ व्यवहार के लिए अपनाए जा सकते हैं, निम्नलिखित हैं । किन्तु पहले-पहल छात्र के माता-पिता/अभिभावक को बुलाकर उसके दुर्व्यवहार के बारे में उन्हें बताना चाहिए और उनके छात्र के ऊपर ध्यान देने की प्रार्थना करनी चाहिए । माता पिता/अभिभावक को यह अवसर देने का कोई लाभ न होने पर ही निम्नलिखित उपाय किए जाएगें :–

(1) कक्षा में रोक रखना

(2) जुर्माना करना

(3) विद्यालय से निकाल देना ।

(4) शिक्षा से वंचित कर देना ।

(5) छात्रवृत्ति/ निशुल्क पढ़ाई सुविधा और अन्य सुविधा रोके रखना / रद्द कर देना

(1) कक्षा में रोक रखना : इसका अर्थ यह कि कक्षा कार्य की उपेक्षा करने पर बालक को पढ़ाई के समय के बाद या अवकाश के समय रोक रखना ।

(2) जुर्माना निम्नलिखित दशाओं में किया जा सकता है :

1. विलम्ब से हाजिर होना ।

2. माता-पिता / अभिभावक से उपयुक्त आवेदन के बिना कक्षा से या अनिवार्य खेलों से गैर-हाजिर रहना

3. कामचोरी करना ।

4. स्कूल की सम्पत्ति को जान बूझकर क्षति पहुंचाना ।

टिप्पणी

(1) ऊपर लिखे 1 और 3 की स्थिति में (5) रू० से अधिक जुर्माना किया जा सकता है ।

(2) स्कूल की सम्पत्ति को जान-बूझकर क्षति पहुंचाने पर 5 रु० से अधिक जुर्माने के अतिरिक्त क्षति की वास्तविक लागत वसूली जा सकती है ।

(3) जुर्माना वसूल करने छात्र कल्याण कोष में जमा किया जा सकता है ।

(3) विद्यालय से निकाल देने पर छात्र उस स्कूल में जहां से वह निकाला गया है, पुनः प्रवेश नहीं पा सकता ; किन्तु किसी भी समय किसी अन्य स्कूल में उसके प्रवेश प्राप्त करने पर रोक नहीं लगती ।

(4) शिक्षा से वंचित कर देने का अर्थ है कि वंचित रहने की अवधि जब तक बीत नहीं जाती तब तक छात्र किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं पा सकता । यह मार्ग निम्नलिखित दशाओं में अपनाया जाएगा:

(क) ऐसे छात्र जिन्होंने स्कूल छोड़ने के गलत या जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर या किसी प्रकार की गलत या बयानी करके प्रवेश प्राप्त किया है या प्राप्त करने की कोशिश की है ।

(ख) ऐसे छात्र जिनके बारे में यह पता चले कि उनके स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र के इन्दराज छोड़े गए हैं ।

(ग) ऐसे छात्र जो किसी सार्वजनिक परीक्षा के बारे में चालबाजी या कदाचार के दोषी पाए गए हों ।

(घ) ऐसे छात्र जो घोर दुराचार के दोषी पाए जाएं ।

टिप्पणी

(1) दोनों सजाएं (अर्थात् विद्यालय से निकालना और शिक्षा से वंचित करना) केवल उन्हीं गंभीर अपराधों के लिए दी जाएगी जिनसे छात्र के सुधरने की कोई उचित संभावना न हो या स्कूल में उनके रहने से स्कूल की नैतिक छवि या अनुशासन बिगड़ने की संभावना हो ।

(2) पूर्वोक्त पैरा में सजाओं के जो रूप लिखे हैं, उनका प्रयोग आमतौर से तभी किया जाएगा जब शिक्षक अपनी सामान्य सुधार की विधियां, जैसे छात्र को सलाह और परामर्श देना, अपनी नापसंदगी और नाराजगी दिखाना और प्रकट करना, सभी आजमा चुका हो । अनेक दशाओं में चेतावनी देने से काम चल सकता है, विशेषकर यदि उसके साथ-साथ माता-पिता, अभिभावक को भेजी जाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट में भी लिख दिया जाए । यदि इससे काम न चले तो स्कूल का मुख्याध्यापक माता-पिता/अभिभावक को बुलाकर उस अपने बालक/बालिका को सुधारने के लिए उचित अवसर देगा

अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो विधालय से निकालने या शिक्षा से वंचित करने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, कार्रवाई की जाए ।

7. शिक्षा से वंचित करने को छोड़कर अन्य सभी सजाओं के बारे में आदेश देने के लिए सहायक शिक्षा निदेशक सक्षम हैं ।

8. अपीलें : यदि छात्र के माता-पिता/अभिभावक संबंधित मुख्याध्यापक/प्रिंसिपल के आदेश से असन्तुष्ट हैं तो सजा देने की तारीख से 30 दिन के अंदर सहायक शिक्षा निदेशक के पास अपील की जा सकती है । ऐसी अपील पर सहायक शिक्षा निदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा । सहायक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए शिक्षा से वंचित करने के आदेश के विरुद्ध अपील क्लेकटर के पास की जा सकेगी । इसके लिए अवधि की सीमा, जिस तारीख को सहायक शिक्षा निदेशक का आदेश असन्तुष्ट पक्ष । संबंधित छात्र को प्राप्त हो, उसके बाद 30 दिन है ।

प्रशासक के आदेश से

ए० के० आचार्य

प्रशासक के सचिव,

दादर और नागर हवेली, सिलवासा

सिलवासा,

दिनांक : 24-11-82

ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI

EDUCATION DEPARTMENT

DISCIPLINARY RULES IN RESPECT OF GOVERNMENT HIGH SCHOOL AND HIGHER SECONDARY SCHOOL

ORDER

No. A-1010/2-EDN.—The Administrator, Dadra and Nagar Haveli is hereby pleased to prescribe disciplinary rules in respect of Government High/Higher Secondary Schools in Dadra and Nagar Haveli.

SHORT TITLE & COMMENCEMENT

1. These rules shall be called the Dadra and Nagar Haveli Disciplinary Rules in respect of Government High/Higher Secondary Schools.

2. These rules shall come into force with immediate effect.

3. Observation of rules of discipline and good behaviour is a condition essential to a pupil's continuance in the school.

4. The name of the pupil shall be struck off the rolls by the Head Master/Principal of the school on account of continued absence without leave for more than 30 days or if he fails to maintain total prescribed days of attendance during the academic year as per Higher Secondary/Secondary Board of Education (Gujarat State) Rules and Regulations.

5. The following practices are strictly forbidden.

(a) Spitting in or near the School premises.

(b) Disfiguring or otherwise damaging school properties.

(c) Smoking in or near the school premises.

(d) Any form of gambling.

(e) Use of drugs or intoxicants.

(f) Rowdyism and rude behaviour.

(g) Irregular attendance.

(h) Absurdity in words and acts.

(i) Insubordination to teacher.

(j) Any kind of cheating or serious misbehaviour.

(k) Abstinence from using uniform in the school premises.

6. The following are some of the standard forms of disciplinary measures that may be adopted by the school in dealing with the pupils. However, in the first instance, the parent/guardian of the pupil should be called and told of the misbehaviour with a request to take care of the pupil. Only after this opportunity given to the parents/guardian fails, the following measures shall be resorted to,

(i) Detention :

(ii) Fine.

(iii) Expulsion.

(iv) Rustication.

(v) Suspension/cancellation of scholarship/freeship and other concession.

(i) *Detention* :—Means detaining the child after the school hours or during the break in the case of neglect of class work.

(ii) Fine may be imposed in the following cases :

(1) Late attendance :

(2) Absence from class or compulsory games without proper application from the parent/guardian :

(3) Truancy.

(4) Wilful damage to school property.

Note :—(1) Fine not exceeding Rs. 5/- may be imposted in respect of cases (1) to (3) above.

(2) In case of wilful damage to property, actual cost of damage may be recovered in addition to fine not exceeding Rs. 5/-.

(3) The fine collected may be credited to the Students' Welfare Fund.

(iii) Expulsion debars the pupils from being readmitted to the school from where he is expelled but does not proclude his admission at any time to any other school.

(iv) Rustication means that the student shall not be admitted to any school till the expiry of the period of rustication. It shall be resorted to in the following cases.

(a) Pubils who are found to have secured admission or attempted to secure admission by means of false or forged leaving certificates or by false representations of any kind.

(b) Pupils in whose case it has been found that the entries in the leaving certificates have been tampered with ;

(c) Pupils who have been found to be guilty of fraud or mal-practices in connection with any public examination ; and

(d) Pupils who are found guilty of gross misconduct.

Note :—(i) Both punishments (i.e. expulsion and rustication) shall be resorted to only in cases of grave offences where there is no reasonable prospect of reforming the pupil or when his retention in the school is liely tok endanger its moral tone or discipline.

(ii) As a rule, the form of punishments enumerated in the preceeding para, should be used only after a teacher has exhausted the usual corrective methods such as advice and counsel to the pupil, expression of showing the teacher's disapproval and displeasure. A warning may in many cases be found to be sufficient especially if it is accompanied by an entry in his monthly progress report to the parent/guardian. If this fails, the head of the school shall send for the parent/guardian and give him reasonable opportunity to reform his ward. If this also does not work, steps may be taken for expulsion or rustication as the case may be.

7. The Head Masters/Principals are empowered to deal with the disciplinary cases in the above manner in case of all punishments except rustication. In case of rustication, Asstt. Director of Education is competent to pass order.

8. *Appeals* : If the parent/guardian of pupil is aggreived by the order of the concerned Head Master/Principal, the appeal lies with the Asstt. Director of Education within 30 days from the date of imposing the punishment. The decision of the Asstt. Director of Education on such appeal will be final and binding. The appeal against rustication order by the Asstt Director of Education shall be with the Collector. The period of limitation is 30 days from the date of receipt of order of the Asstt. Director of Education by the aggrieved party/concerned pupil.

By Order of the Administrator,

A. K. ACHARYA

Secretary to the Administrator,
Dadra and Nagar Haveli
Silvassa

Silvassa, the 24th November 1982

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983